पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अतिव्यस्त होने के कारण पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 18.4.20 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अतिव्यस्त होने के कारण पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 28-3-2021 को पेश हो।

पत्रावली एम्पत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य
स्थगन किया गया है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 12-11-2021 को पेश हो।

जनरल N.I.C. के आज
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली
वास्ते तलबी दिनांक 29.9.21 को पेश हो।

29/9/2021 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अतिव्यस्त
पधारे है। मतानुसार दिनांक ..... को पेश हो।
17-12-2021

17/12/21 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त
पधारे है। मतानुसार दिनांक 25.3.22 को पेश हो।

25/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली
वास्ते तलबी दिनांक 14.6.22 को पेश हो।

16/5/22 पत्रावली पेश हुई। मामलात का मूल दावा
Not Press में खारिज किया जा चुका है। इसलिए T-9 प्रा० पत्र
चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा मामलात T-9 प्रा० पत्र
को भी Not Press में खारिज कराना चाहते है। अतः मु० नं.
40/2013 उनवान राजवीर v/s शंभू सिंह वगै० प्रा० पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है तथा
उक्त प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दि० 13/5/2013
विदड्रो किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा
के साथ शामिल मिसल रहे।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

नन्दराम
राजवीर
Not Press
(P.L. गोपाल)